भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2792

दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग

2792 : श्री मद्दीला गुरुमूर्तिः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की विश्वसनीयता और मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उद्योगों और किसानों को वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है और इस संबंध में सरकार द्वारा किन–किन योजनाओं पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) भारत से निर्यात वर्ष 2021–22 में लगभग 676 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा है और वर्ष 2022–23 में यह 776 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है; जो पिछले वर्षों में लगभग 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि वैश्विक बाज़ार में भारतीय उत्पादों की विश्वसनीयता और माँग बढ़ रही है। इसके अलावा, भारत ने पिछले वर्ष संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्तारक्षर किए हैं और कई अन्य एफटीए समझौतों पर बातचीत चल रही है। हमारे देश के साथ चल रहे एफटीए पर हमारे व्यापारिक साझेदारों द्वारा दिखाई गयी रुचि इस बात का संकेत है कि वैश्विक बाज़ार में भारतीय उत्पादों के लिए माँग बढ़ रही है।

(ग) सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संवर्धन संबंधी निम्नलिखित पहलें की हैं।

(i) नई विदेश व्यापार नीति 31 मार्च, 2023 को लॉन्च की गई और यह 1 अप्रैल, 2023 से लागू है।

(ii) पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को भी 12038 करोड़ रुपए के कुल आवंटन के साथ 30.06.2024 तक बढ़ाया गया है।

(iii) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), और बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।

(iv) श्रम उन्मुख क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से कार्यान्वित की गई है।

(v) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01.01.2021 से कार्यान्वित की गई है। दिनांक 15.12.2022 से, पूर्व में शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों जैसे फार्मास्युटिकल्स, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन और लोहा एव इस्पात की वस्तुओं को आरओडीटीईपी के तहत

शामिल किया गया है। इसी प्रकार से, 432 प्रशुल्क लाइनों में विसंगतियों का समाधान किया गया है और संशोधित दरों को दिनांक 16.01.2023 से लागू किया गया है।

(vi) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

(vii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके, इन उत्पादों का निर्यात करने में आने वाली अड़चनों को दूर करके और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए जिलों को निर्यात हब के रूप में पहल शुरु की गयी है।

(viii) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने की दिशा में विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।

(ix) विदेशों में वाणिज्यिक मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, पण्य बोर्डो/प्राधिकरणों और उद्योग संघो के साथ निर्यात निष्पादन की नियमित निगरानी और समय–समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

****